भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं. 23-पीओएल/1/2023-क्रू-नौमनि (सी.सं.26079) **दिनांक: 27.02.2024**

नौमनि परिपत्र सं 02/2024

विषय: आरपीएसएल/नौवहन कंपनियों द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म-1 एवं समझौते के लेख की प्रविष्टियों को ठीक किया जाने/मिटाए जाने/ अद्यतन किए जाने-संबंधी।

जबकि, नौवहन महानिदेशालय ने समुद्रकर्मियों के नियोजन एवं उन्मोचन डेटा अपलोड करने हेतु नई प्रक्रिया संबंधी दिनांक 12.06.2019 का नौमनि परिपत्र संख्या 03/2019 जारी किया था (समझौते का लेख/फार्म-1)। समुद्रकर्मियों के नियोजन एवं उन्मोचन से संबंधित समुद्रकर्मियों के डेटा की प्रस्तुति हेतु उक्त नई प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रतिपादन एवं समयसीमा के अनुसार कार्यान्वित एवं दिनांक 16.03.2019 से कार्यशील किया गया है:-

a) संविदा पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर "तट पर साइन ऑन की तारीख/संविदा के आरंभ की तारीख" की प्रविष्टि की जाएगी।
b) "तट पर साइन ऑन की तारीख/संविदा के आरंभ की तारीख" से 30 दिनों के भीतर "पोत पर साइन ऑन की तारीख/साइन ऑन तारीख" की प्रविष्टि की जाएगी।
c) समुद्रकर्मी के पोत से साइन ऑफ की तारीख से 15 दिनों के भीतर पोत से साइन ऑफ/साइन ऑफ तारीख की प्रविष्टि की जाएगी।
d) तट पर साइन ऑफ/संविदा की पूर्ति की तारीख की प्रविष्टि समुद्रकर्मी के पोत से साइन ऑफ करने के पश्चात 15 दिनों के भीतर की जाएगी।
e) यदि जानकारी अनुबद्ध समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई तो सिस्टम में डेटा की प्रस्तुति नहीं हो पाएगी।
f) किसी भी समय पर बैंक गैरंटी के अंतर्गत आने वाले समुद्रकर्मी की संख्या से अधिक समुद्रकर्मियों के डेटा की प्रस्तुति सिस्टम में नहीं हो पाएगा।

2. जबकि, आरपिएसएल/नौवहन कंपनियों द्वारा सिस्टम में पहले से जन सामान्य को सुलभ करने हेतु डाले गए ई-गवर्नस/ई-मैग्रेट रिकोर्ड में तारीख में सुधार एवं मिटाए जाने हेतु परिवर्तन के लिए निवेदन किए गए हैं।

3. जबकि, आईएमओ कन्वेंशन के अनुसरण में समुद्रीय सेवा की गणना एवं समुद्रकर्मियों को कई प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आरपीएसएल/नौवहन कंपनियों द्वारा जन सामान्य को सुलभ कराने के लिए डाला गया यह डेटा महत्वपूर्ण है।

4. जबकि, आरपीएसएल/ नौवहन कंपनियों द्वारा किए गए साइन ऑन से तातपर्य यह है कि जलयान के नाविक पाल/एजेंट से प्राप्त पुष्टीकरण के आधार पर जलयान में समुद्रकर्मी ने वास्तव में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, आरपीएसएल द्वारा अपलोड की गई साइन-ऑन की तारीख अलंघनीय है और उचित सत्यापन के बाद इसे

.....2

अपडेट किया जाता है। यह आरपीएसएल/ नौवहन कंपनियों को दी गई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और आमतौर पर इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी क्योंकि तारीखें सिस्टम में "पोस्ट-फैक्टो" यानी घटना होने के 15 से 30 दिन बाद फीड की जा रही हैं।

5. जबकि, पैरा 1 में दी गई समय-सीमा, संबंधित समुद्रकर्मियों के विवरण को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाती है। इसलिए, धोखाधड़ी वाली जानकारी और जाली दस्तावेज और इसे प्रस्तुत करने के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में इसका महत्व बढ़ जाता है।

6. जबकि, वाणिज्य पोतपरिवहन (समुद्रकर्मियों की भर्ती और नियुक्ति) नियम 2016 की धारा 5 (बी) में कहा गया है कि भर्ती और नियुक्ति सेवाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि उसके प्रबंध समिति और कर्मचारी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और इस संदर्भ में उन्हें समुद्री उद्योग के जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उन्हें उसका प्रासंगिक ज्ञान है।

7. जबकि, आरपीएसएल/नौवहन कंपनियों से विधिवत प्राप्त इन अभ्यावेदनों की उचित जांच के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि अब से उचित जांच के बिना समुद्रकर्मी की ऑनलाइन प्रोफ़ाइल से कोई भी गलत प्रविष्टियां हटाई/संशोधित नहीं की जाएंगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर समुद्रकर्मी के प्रोफाइल को सटीक रिकॉर्ड के साथ अपडेट करना आरपीएसएल की जिम्मेदारी है। यदि कंपनी सही रिकॉर्ड अपडेट करने में विफल रहती है, तो उचित सत्यापन के बाद, सही तारीख अपडेट करने का जुर्माना बढ़ाकर अब से रु. 1,000/- कर दिया गया है।

8. जबकि, यदि सक्रिय आरपीएस/नौवहन कंपनियां निर्धारित समय अवधि के भीतर साइन-ऑन तारीख/साइन-ऑफ तारीख को अपडेट करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें आरपीएस/ नौवहन कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के सभी पृष्ठ क्षेत्राधिकारी डीएसईओ/एसएम को और crews-dgs@nic.in ईमेल पते पर भी निम्न कागज़ात के साथ जमा करने होंगे।

a) लंबित साइन-ऑन तारीख/साइन-ऑफ तारीख को अद्यतित करने के लिए कंपनी का निवेदन पत्र (साइन-ऑन/साइन-ऑफ की तारीख के साथ पोत का नाम भी उल्लेखित है) जिसमें ठोस कारण के साथ असाधारण परिस्थितियों का विवरण हो और भविष्य में ऐसी घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई।
b) जलयान के मास्टर द्वारा पृष्ठांकित पहला पृष्ठ और साइन-ऑन/साइन-ऑफ तारीख के साथ सीडीसी की प्रति।
c) पहला पृष्ठ और आप्रवासन स्टैंपों के साथ पासपोर्ट की प्रति (भारत - प्रस्थान / विदेश - आगमन और विदेश - प्रस्थान / भारत - आगमन) या घोषणा पत्र की प्रति जिसमें समुद्रकर्मी ने साइन ऑन/साइन ऑफ किया है।
d) समुद्रकर्मी रोजगार अनुबंध/समुद्रकर्मी और आरपीएस कंपनी के बीच हस्ताक्षरित संविदा की प्रति।
e) नौवहन महानिदेशालय, मुंबई को "पीएओ शिपिंग, मुंबई को देय अन्य रसीदें" शीर्षक के तहत भारतकोश भुगतान रसीद 1000/-रु. प्रति अपडेशन (साइन-ऑन के लिए 1000/-रु. और साइन-ऑफ के लिए 1000/-रु.)।

....3

लंबित साइन-ऑन तारीख और साइन-ऑफ तारीख को अद्यतित करने के लिए भारतकोश के माध्यम से भुगतान करने की विधि।

भारतकोश वेबसाइट पर जाएँ
↓
त्वरित भुगतान
↓
मंत्रालय/विभाग (088)
↓
उद्देश्य (पीएओ शिपिंग, मुंबई को देय अन्य रसीदें)
↓
भुगतान प्रकार (नौमनि, मुंबई को भुगतान)
↓
भुगतान का उद्देश्य
↓
जमाकर्ता का विवरण भरें
↓
जानकारी की पुष्टि करें
↓
भुगतान

9. इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मनीष

(कै. मनीष कुमार)
नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-
उपमनि(तकनीकी/क्रू)

(अस्वीकरण: हिंदी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा)